

मूल साद में विक्री
(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / काम कार्य)
पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उपस्थान :

वादीगण

1. भागीरथराम पुत्र बलदेवाराम
जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बचाव

प्रतिवादीगण

1. बलदेवाराम पुत्र विश्वराम
2. भीराराम पुत्र बलदेवाराम
जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक एस.पी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :-49...../2021

निर्णय दिनांक :- 03.01.2022 (फॉलोअप केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय सोसियल जैतमाल)

वादीगण की ओर से श्री रामजीवन विष्णोई अधिवक्ता तहसील व तहसीलदार स्वयं की एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण स्वयं की उपस्थिति में इस दाद में आज तारीख 03.01.2022 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए देखा होने पर, आदेश किये जाते हैं और डिक्री दी जाती है कि—
वादग्रत आराजी ग्राम गोलिया जैतमाल के खेत खसरा नम्बर 200/5 रकबा 34-05 बीघा भूमि में दादी संख्या 1 भागीरथराम व प्रतिवादी संख्या 2 भीराराम को प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवाराम पुत्र विश्वराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आदेशक सुप्रीम की प्रतिनिधित्व अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(प्रमोद कुमार)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

दिनांक : 03-01-2022

क्रमांक: वाचक/2021-2022/ 12

प्रतिलिपि : वारंते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।



(प्रमोद कुमार)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी